



प्रेस नोट थाना शमशाबाद जनपद आगरा ।

थाना शमशाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार..

दिनांक 02.07.2021 को थाना शमशाबाद पर वादिया श्रीमती सोमोती देवी पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी लहर पट्टी लहर थाना शमशाबाद जनपद आगरा को वादिया के पुत्र बन्टी के साथ मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थाना पत्र दिया गया जिस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पर एनसीआर नं० 80/21 धारा 323/504 भा०द०वि० पंजीकृत कर पुलिस जाँच में जुट गयी । दिनांक 03.07.2021 को दौराने इलाज वादिया का पुत्र बन्टी की एस०एन० मेडिकल कॉलेज आगरा में मृत्यु हो गयी । इस आधार पर एनसीआर नं० 80/21 धारा 323/504 भा०द०वि० से तरमीम कर थाना शमशाबाद पर मु०अ०सं० 176/21 धारा 323/504/302 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी शमशाबाद को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 07.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन की चैकिंग की जा रही थी, इस दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी कि ग्राम लहरपट्टी में हत्या करने वाले 02 व्यक्ति धमैना चौराहा पर शमशाबाद रोड पर कही जाने के फिराख में खडे है । यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है ।

➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम बताये गये स्थान पर पहुँची । पुलिस टीम द्वारा धमैना चौराहे शमशाबाद रोड पर खडे दोनो अभि०गणो को घोर-घोट कर एक बारगी की दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया ।

➤ पूछताछ का विवरण -

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम 01. नेतराम पुत्र मंगल सिंह निवासी लहर पट्टी लहर थाना शमशाबाद जनपद आगरा 02. विनोद पुत्र अमर सिंह निवासी लहर पट्टी लहर थाना शमशाबाद जनपद आगरा बताया । पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि अभियुक्त विनोद उपरोक्त ने बताया नेतराम से मेरी अच्छी दोस्ती है दिनांक 01.07.2021 को नेतराम व बन्टी में मजदूरी के पैसो को लेकर गाली गलौज हुयी थी नेतराम व उसके लडके व उसके परिवार वाले बन्टी के साथ मारपीट कर रहे थे तो मैने जाकर



बीच बचाव करने की कोशिश की तो बन्टी ने मेरे साथ भी गाली देना शुरू कर दिया तब मैंने भी गुस्से में आकर बन्टी के साथ मारपीट कर दी थी।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. नेतराम पुत्र मंगल सिंह निवासी लहर पट्टी लहर थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
02. विनोद पुत्र अमर सिंह निवासी लहर पट्टी लहर थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

➤ बरामदगी का विवरण-

01. निल

➤ आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 176/21 धारा 323/504/302 भा0द0वि0 थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. SI / IC श्रीमान अरविन्द आर्य थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
02. उ0नि0 अमित कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
03. उ0नि0 रजनीश थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
04. का0 4968 अजीत कुमार थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
05. का0 1251 मंजीत भाटी थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।